

भारत का राजपत्र ¹³
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1984/जेष्ठ 18, 1906

No. 203] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 1984/JYAISTHA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 जून, 1984

सा.का.नि. 440(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3,
उपखंड (1) तारीख 1 मार्च, 1984 के पृष्ठ 1—8 पर प्रकाशित भारत सरकार के
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 87(अ),
तारीख 1 मार्च, 1984 में —

- (1) पृष्ठ 1 पर नियम 2 में दूसरी पंक्ति में "नियत" शब्द के स्थान पर
"नियम" शब्द पढ़ें।

(क) पृष्ठ 2 पर —

(1) नियम 8 की आठवीं पंक्ति में—“कय दिवस” के स्थान पर “कार्य दिवस” शब्द पढ़ें ।

(2) नियम 10 की दूसरी पंक्ति में “मिलाप” शब्द के स्थान पर “मिलाए” शब्द पढ़ें ।

[सं. पी. 15014/4/83-पी. एच. (एफ एण्ड एन) पी. एफ. ए.]
एस. वी. सुब्रामणियम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th June, 1984

G.S.R. 440(E).—In the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), G.S.R. 87(E) dated 1st March, 1984, published at pages 1—6 of the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 1st March, 1984—

(1) at page 4, rule 8, clause (c) read the word “Kcal” for the word “Keal”,

(2) at page 5, rule 10, read “sub-rule (2) of rule 40” for the words “sub-rule (2) of rule 10”,

(3) at page 5, rule 12, 5th line, read “any article of food” for the words “any article or food”.

[No. P. 15014/4/83-PH(F&N)PFA]
S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.